ग्राम पंचायत भलेई, विकास खण्ड सलूणी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश के लेखों का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 01/04/2022 से 31/03/2024

भाग-एक

1. प्रस्तावना

(क) ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफ़ारिशों के फ़लस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम-1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप-सचिव पंचायती राज विभाग के संशोधन पत्र संख्या पीसीएच-एचसी(5)-सी(15)एलएडी/2006-12669 दिनांक-07-04-2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व हिमाचल प्रदेश, राज्य लेखा परीक्षा विभाग को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत भलेई, विकास खण्ड सलूणी, जिला चम्बा के अवधि 01/04/2022 से 31/03/2024 के लेखों का अंकेक्षण कार्य विभाग द्वारा निष्पादित किया गया।

अंकेक्षण अवधि 01-04-2022 से 31-03-2024 तक के दौरान ग्राम पंचायत भलेई में निम्नलिखित

प्रधान

क्रम संख्या	पदाधिकारी का नाम	अवधि
1.	श्रीमती कंचन कुमारी	01-04-2022 से 31-03-2024

सचिव

क्रम संख्या	सचिव का नाम	अवधि
1.	श्रीमती पूनम कुमारी	01-04-2022 से 31-03-2024

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार :-

ग्राम पंचायत भलेई, विकास खण्ड सलूणी, जिला चम्बा के अवधि 04/2022 से 03/2024 के लेखाओं के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर

अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है। जोकि उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ आगामी आवश्यक कार्रवाई हेतु विशेष रूप से लाई जाती है।

क्र० स०	गम्भीर अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	पैरा संख्या	राशि (₹ लाखों में)
01.	वेंडरों/आपूर्तिकर्ताओं से W, X फॉर्म प्राप्त किये बिना ही खनन सामग्री का अनियमित क्रय/ भुगतान करने बारे।	8.1	₹13.42
02.	ठेकेदारों/संविदाकारों से टी०डी०एस० की कटौती न करने के कारण सरकारी राजकोष को वित्तीय हानि बारे।	8.2	₹0.09
03.	आपूर्तिकर्ताओं से पत्थर के क्रय हेतु भुगतान से पूर्व रिक्तियों (Voids) की कटौती न करने के कारण अधिक/अनियमित भुगतान बारे।	8.3	₹0.49
04.	मनरेगा अनुदान के तहत सामग्री पर तय अनुपात से अधिक व्यय बारे।	9.1	₹6.56
05.	बिना प्रॉपर/टैक्स बिलों के आपूर्तिकर्ताओं को अनियमित भुगतान बारे।	9.2	₹14.42
06.	ग्राम पंचायत द्वारा महत्वपूर्ण रजिस्टरों अभिलेखों का संधारण न करने बारे ।	10.2	---------
07	बैंक विवरणी तैयार न करने के कारण रोकड़ बहियों और बैंक खातों के अन्तशेष में अन्तर	5.1	2.56

(ग) गत अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन :-

हि० प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा ग्राम पंचायत भलेई का अंकेक्षण, अवधि 04/2014 से 03/2017 तक किया गया था जिसमें सम्मिलित अनिर्णीत पैरों के समायोजन बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या SAD/CBA/2024/02 दिनांक 30-12-2024 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा बताया गया कि, गत अंकेक्षण प्रतिवेदन के अनिर्णीत पैरों का निपटारा विशेष कैंप के द्वारा कर दिया गया है। वर्तमान अंकेक्षण में केवल पैरा संख्या 4 को ही पुन: प्रारूपित किया गया अन्य पैरों का समायोजन विभाग द्वारा जिला पंचायत अधिकारी कार्यालय में पैरे

निपटान हेतु विशेष कैंप में पैरों पर की गई कार्रवाई को रिपोर्ट से लेकर शामिल किया गया तदोपरान्त निर्णीत पैरों की स्थिति सहित अंकेक्षण प्रतिवेदन में समाविष्ट अन्य लम्बित पैरों की स्थिति निम्न वर्णित है :-

1. अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2014 से 03/2017 तक :-

क्रम संख्या	पैरा संख्या	पैरा स्थिति	टिप्पणी
1.	3	निर्णीत	अंकेक्षण शुल्क जमा करवा दिया गया है।
2.	4	स्वत:निर्णीत	वर्तमान अंकेक्षण में पुन: प्रारूपित।
3.	4.1 से 4.2	निर्णीत	कार्रवाई देख ली गई है।
4.	5	निर्णीत	कार्रवाई देख ली गई है।
5.	6 क	अंशत निर्णीत	₹9750 की वसूली उपरान्त।
6.	6 ख	निर्णीत	राशि ₹18750 की वसूली उपरान्त ।
7.	7	निर्णीत	कार्रवाई देख ली गई है।
8.	8	निर्णीत	कार्रवाई देख ली गई है।
9.	9	अनिर्णीत	-
10.	10	अनिर्णीत	-
11.	11	निर्णीत	कार्रवाई देख ली गई है।
12.	12	अनिर्णीत	-
13.	13	निर्णीत	कार्रवाई देख ली गई है।
14.	14	निर्णीत	कार्रवाई देख ली गई है।
15.	15	निर्णीत	कार्रवाई देख ली गई है।

भाग- दो

2. वर्तमान अंकेक्षण :-

ग्राम पंचायत भलेई, विकास खण्ड सलूणी, जिला चम्बा के अवधि 04/2022 से 03/2024 के लेखाओं का वर्तमान अंकेक्षण श्री पवन कुमार, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 06-01-2025 से 16-01-2025 तक ग्राम पंचायत भलेई के कार्यालय में किया गया।

वर्तमान निधि लेखाओं की विस्तृत जांच हेतु आय एवं व्यय के लिए निम्न मासों का चयन किया गया। जिसके परिणामों को आगामी पैराग्राफों में समाविष्ट किया गया है।

क्रम संख्या	**वित्तीय वर्ष**	**आय चयनित माह**	**व्यय चयनित माह**
1.	2022-2023	04/2022	05/2022
2.	2023-2024	06/2023	06/2023

अस्वीकरण:- वर्तमान अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण ग्राम पंचायत के नियंत्रक अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग उत्तरदायी नहीं होगा।

3. अंकेक्षण शुल्क

ग्राम पंचायत भलेई, विकास खण्ड सलूणी, जिला चम्बा के अवधि 04/2022 से 03/2024 तक के लेखाओं के अंकेक्षण हेतु शुल्क ₹5600/- आँका गया है। अंकेक्षण शुल्क की उक्त राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से राजकीय कोष में जमा करवाने हेतु निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला-09 को प्रेषित करने हेतु पंचायत सचिव से अंकेक्षण अधियाचना संख्या SAD/CBA/2024/12 दिनांक 16-01-2025 द्वारा अनुरोध किया गया।

4. वित्तीय स्थिति

ग्राम पंचायत भलेई द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 04/2022 से 03/2024 के लेखाओं की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार थी :-

4.1 (अ) स्व:-स्त्रोत व अनुदान ग्राम पंचायत भलेई के अवधि 04/2022 से 03/2024 तक स्व:-स्त्रोतों व अनुदान की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है। जिसका विस्तृत विवरण संलग्न **परिशिष्ट-1 व 2** में भी दिया गया है।

1. स्व:-स्त्रोत, MPLAD, VKVNY, BASP, SDRF, GRDS, VMJS & 5th SFC

वित्तीय वर्ष	अथ शेष	कुल प्राप्ति	कुल योग	कुल व्यय	अंतिम शेष
2022-2023	**816830.63**	**1251794.00**	**2068624.63**	**1231803.00**	**836821.63**
2023-2024	**836821.63**	**2445356.00**	**3282177.63**	**2186744.00**	**1095433.63**

2. अनुदान (मनरेगा व 15वां वित्तायोग)

वित्तीय वर्ष	अथ शेष	कुल प्राप्ति	कुल योग	कुल व्यय	अंतिम शेष
2022-2023	1309821.00	7317816.56	8627637.56	7434592.56	1193045.00
2023-2024	1193045.00	7147116.74	8340161.74	7474362.74	865799.00

कुल योग (1+2) ₹1095433.63 + ₹865799.00 = ₹1961232.63

(ब) ग्राम पंचायत भलेई का दिनांक 31/03/2024 को बैंक खातों में अन्तशेष विवरण।

क्र० स०	अनुदान का नाम	खाता संख्या	बैंक का नाम	राशि 31-03-2024
1.	15TH FC	99040100018302	HPGB Brangal	**940593.00**
2.	Own Source, 5th SFC, VKVNY, SDRF, VMJS, MPLAD,GRDS & BASP	18910103702	HPSCB Salooni	**1275852.65**
			CASH IN HAND	**374.00**
			TOTAL	**₹2216819.65**

अन्तर (ब-अ) ₹2216819.65 - ₹1961232.63 = ₹255587.02

4.2 वित्तीय वर्ष 2023-2024 के 15वें वित्तायोग का अंकेक्षण तथा इससे सम्बन्धित पैरों का प्रारूपण ऑडिट ऑनलाइन पोर्टल में अपलोड कर दिया गया है।

5.1 बैंक समाधान विवरणी तैयार न करने के कारण रोकड़ बहियों व बैंक खातों के अन्तशेष में राशि ₹2.56 लाख का अन्तर :-

अंकेक्षण दौरान पाया गया कि, ग्राम पंचायत भलेई, द्वारा हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम **15(10)(ख)** की अनुपालना में मासिक आधार पर बैंक समाधान विवरणी तैयार नहीं की गई थी। जिस कारण वर्तमान अंकेक्षण अवधि के अंत में दिनांक 31-03-2024 को रोकड़ बही तथा बैंक खातों के अन्तशेष में राशि ₹255587.02 का अन्तर रोकड़ बही में कम शेष के रूप में पाया गया। जिसका विस्तृत ब्यौरा पैरा संख्या 4.1 में दिया गया है।

इस सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या-07 दिनांक 14-01-2025 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा सूचित किया कि, भविष्य में बैंक समाधान विवरणी मासिक आधार पर तैयार की जाएगी एवं वर्तमान अंतर का मिलान करके लेखा परीक्षा विभाग को अवगत करवा दिया जायेगा। अत: भविष्य में नियमानुसार प्रत्येक माह बैंक समाधान विवरणी तैयार करके बैंक एवं रोकड़ बही का मिलान किया जाना सुनिश्चित किया जाये तथा वर्तमान में अन्तर का अति शीघ्र मिलान भी किया जाये तथा अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

5.2 रोकड़ बहियों के रख-रखाव/संधारण में पाई गई विविध अनियमितताओं बारे :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षण, सकंर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 7 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार रोकड़बहियों का रख-रखाव किया जाना अपेक्षित है तथा निदेशक पंचायती राज व ग्रामीण विकास हि० प्र० के पत्र संख्या PCH-HC(10)/2016-5072-75 दिनांक 24-01-2018 के अंतर्गत समस्त PRIs (पंचायती राज संस्थाओं) को लेखों का रख-रखाव मार्च, 2018 के बाद ऑनलाइन माध्यम में किया जाना अनिवार्य किया गया था।

ग्राम पंचायत भलेई के अंकेक्षण दौरान पाया गया कि, ग्राम पंचायत द्वारा 15वें वित्तायोग के अतिरिक्त केवल अन्य समस्त अनुदानों की केवल मैनुयल संधारित रोकड़ बहियों को ही अंकेक्षण में प्रस्तुत किया गया। जबकि विभाग के दिशा-निर्देशों अनुसार रोकड़ बहियों का संधारण e-ग्राम स्वराज में ही किया जाना अपेक्षित है। अंकेक्षण में प्रस्तुत मैन्युअल संधारित रोकड़ बहियों का रख-रखाव उचित तरीके से नहीं किया गया था इसमें अत्यधिक कटिंग, फ्लुडिंग इत्यादि की गई थी तथा इसमे न तो अथशेष व अन्तशेष लिए गए हैं और न ही इसमें दर्ज/प्रविष्ट Transctions के प्रगतिशील योग किये गए हैं जोकि न केवल लेखांकन नियमों के विरुद्ध हैं अपितु इससे पंचायत द्वारा प्रस्तुत **परिशिष्ट 1 व 2** में लिए अथशेषों व अंतशेषों को सत्यापित नहीं किया जा सका। ऐसी स्थिति में बैंक से किये जा रहे लेन-देन पर भी कोई नियन्त्रण नहीं रह जाता तथा रोकड़ बही, बैंक खाते में उपलब्ध शेष राशि बारे में कोई विश्वसनीय सूचना उपलब्ध नहीं करवाती। इसके अतिरिक्त ऐसी स्थिति में पंचायत द्वारा बनाई जा रही व उपलब्ध करवाई गई मासिक आय-व्यय तालिका, वार्षिक वित्तीय विवरण तथा

संतुलन पत्र की मदें भी विश्वसनीय नहीं रह जाती तथा इसमें अनाधिकृत समायोजन की संभावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता।

इस सन्दर्भ में जारी अधियाचना संख्या-09 दिनांक 14-01-2025 के प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव द्वारा सूचित किया गया कि, 15वें वित्तायोग के अतिरिक्त अन्य रोकड़ बहियों का संधारण मेनुअल आधार पर किया जा रहा है एवं ऑनलाइन संधारित रोकड़ बहियाँ अपूर्ण होने के कारण वह लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की जा सकी। प्रस्तुत उत्तर सन्तोषजनक नहीं है अत: उक्त मामले में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर कृत अनुपालना से लेखा परीक्षा को यथाशीघ्र अवगत करवाया जाना सुनिश्चित करें।

5.3 खाता "क" तथा "ख" को अलग से नियमानुसार संधारित न करने बारे :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, सम्परीक्षा, संकर्म, कराधान एवं भत्ते) नियमावली 2002 के **नियम 4** के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा अपनी आय (स्व-स्त्रोत) के लिए खाता "क" तथा अनुदानों और विशेष प्रयोजनों के लिए खाता "ख" अलग-अलग से खोले जाने अपेक्षित हैं। अंकेक्षण दौरान पाया गया कि, पंचायत द्वारा अपनी आय (स्व-स्त्रोत) के खाते को पृथक नहीं रखा गया है । अपितु अन्य अनुदानों 5th SFC,MPLAD,VKVNY, GRDS,BASP, SDRF व VMJS के साथ एक बैंक खाता एवं एक ही रोकड़ बही में संधारण किया जा रहा है। जोकि उक्त नियम की स्पष्ट अवहेलना है।

इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या-07 दिनांक 14-01-2025 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा सूचित किया गया कि, पंचायत के स्व:-स्त्रोत आय व्यय के लिए पृथक बैंक खाता खुलवा लिया जाएगा। उत्तर सन्तोषजनक नहीं है। अत: इस सम्बन्ध में आगामी आवश्यक कार्रवाई अमल में लाकर कृत अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित करें।

6.1 विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों की राशि ₹19.61 लाख का अवरोधन :-

पंचायत द्वारा **परिशिष्ट 1 व 2** पर अनुदानों से सम्बधित उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार दिनांक 31-03-2024 तक अनुदान से प्राप्त अनुदान राशियों में से ₹1961232.63 की राशि (रोकड़ बही के अनुसार) उपयोग हेतु शेष थी। ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित

अवधि के दौरान व्यय किया जाना था। जबकि पंचायत द्वारा अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ-साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से भी वंचित होना पड़ा।

उक्त राशि के उपयोग/व्यय न करने बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या-07 दिनांक 14-01-2025 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि उपरान्त स्पष्ट किया कि, भविष्य में प्राप्त अनुदान को समय पर खर्च किया जायेगा। अत: अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों स्पष्ट करते हुए अनुदान के व्यय हेतु सक्षम अधिकारी से अवधि बढोतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाये एवं कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

7.1 पंचायत राजस्व, गृहकर की बकाया राशि ₹0.33 लाख की वसूली न करने बारे :-

हि० प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 33 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार ग्राम पंचायत सचिव का दायित्व है कि, समस्त राजस्व को नियमित व अविलम्ब रूप से वसूलने व सम्बधित ग्राम पंचायत के खातों में समय पर जमा करवाना सुनिश्चित करें तथा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 114 में प्रावधान है कि कोई व्यक्ति किसी कर, शुल्क, दर राशि का भुगतान नहीं करता तो वह जुर्माने के साथ दण्ड का भागीदार होगा।

ग्राम पंचायत भलेई के अंकेक्षण में पाया गया कि, पंचायत सचिव द्वारा सम्पति कर (गृहकर) रजिस्टर को संधारित नहीं किया गया था। जिस कारण सम्पति कर की वार्षिक मांग व गत बकाया बारे पुष्टि नहीं हो सकी। इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायत द्वारा धारा 114 के अनुरूप गृहकर का समय पर भुगतान न करने के लिए चूककर्ताओं पर दण्ड लगाने हेतु भी कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। पंचायत द्वारा पंजीकृत परिवारों के आधार पर उपलब्ध करवाए गए अभिलेखानुसार निम्न राशि ₹32610 वसूली हेतु शेष थी।

वित्तीय-वर्ष	गत शेष	कुल परिवार	दर	वर्ष के दौरान मांग	कुल मांग	कुल प्राप्त राशि	बकाया राशि
2022-23	85350	500	50	25000	110350	55140	55210
2023-24	55210	525	50	26250	81460	48850	32610

इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या-11 दिनांक 16-01-2025 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा तथ्यों व आंकड़ों की पुष्टि उपरान्त सूचित किया कि, पंचायत राजस्व की वसूली समय पर की जाएगी। उत्तर ग्राम पंचायत द्वारा अप्रभावी निगरानी का द्योतक है जिसके परिणाम स्वरूप राजस्व का गैर संग्रहण/हानि हो सकती है। अतः सम्पति/गृहकर की बकाया राशि की शीघ्रातिशीघ्र वसूली करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

7.2 विवाह पंजीकरण शुल्क की वसूली गई राशि को सरकारी राजकोष में जमा न करना:-

हिमाचल प्रदेश विवाह रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1996 की धारा 22 एवं हि०प्र० सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण विभाग की अधिसूचना संख्या WLF-A(3)-1/97, दिनांक 17-12-2004 व SJE-A-A(3)-1/2015 दिनांक 04-10-2016 एवं पंचायती राज विभाग द्वारा जारी पत्र संख्या PCH-HA(1)8/2013-Marrige-8107-10 दिनांक 28-10-2016 के अनुसार विवाह पंजीकरण के शुल्क की वसूली करने उपरान्त वसूली गई राशि को सरकारी राजकोष के प्राप्ति शीर्षक खाता संख्या "0235-00-800-03" में विवाह रजिस्ट्रार द्वारा जमा की जानी अपेक्षित है।

अभिलेखों के अंकेक्षण में पाया गया कि, उक्त पंचायत सचिव द्वारा निम्नविवरणानुसार विवाह पंजीकरण शुल्क के तौर पर वसूली गई राशि ₹4050/- को सरकारी राजकोष में जमा नहीं करवाया गया था अपितु इसे पंचायत के बैंक खाते में रखा गया था जोकि उक्त नियमानुसार अनुचित है।

वित्तीय वर्ष	कुल पंजीकृत विवाह	Rate APL		राशि	Rate BPL		राशि	कुल राशि सामान्य व BPL
		Without LateFee	With LateFee		Without Late Fee	With LateFee		
2022-2023	12	08@200	-	1600	-	04@50	200	1800
2023-2024	15	10@200	-	2000	-	05@50	250	2250
कुल योग	**27**	**18@200**	**-**	**3600**	**-**	**09@50**	**450**	**4050**

इस सम्बन्ध में जारी अधियाचना संख्या-11 दिनांक 16-01-2025 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा बताया कि, विवाह पंजीकरण शुल्क को पंचायत के बैंक खाते में रखा गया है इसे शीघ्र ही सरकारी राजकोष में जमा करवा दिया जायेगा। अत: उपरोक्त राशि ₹4050 की वसूली उपरान्त सरकारी राजकोष में जमा करवाई जानी सुनिश्चित की जाये तथा गत वर्षों में इस प्रकार से सरकारी राजकोष में जमा नहीं करवाई गई राशि को भी जमा करवाना सुनिश्चित किया जाये। भविष्य में इस प्रकार की गलती की पुनरावृत्ति न की जाये तथा अनुपालना से लेखा परीक्षा विभाग को अवगत करवाया जाये।

7.3 पंचायत राजस्व, ग्राम पंचायत द्वारा किराये पर आबंटित दुकानों बारे :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म,कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के **नियम 33** में प्रावधान है कि, ग्राम पंचायत का सचिव देखेगा कि, समस्त राजस्व सही ढंग से व अविलम्ब तथा नियमित रूप से निर्धारित,वसूल व सम्बधित ग्राम पंचायत के खातों में जमा करवाया गया है। इसके अत्तिरिक्त हि०प्र० पंचायती राज विभाग के कार्यालय आदेश संख्या पीसीएच-एचसी (7)10/30-3031-30436 दिनांक 07-09-2008 द्वारा ग्राम पंचायत के व्यावसायिक परिसरों/भवनों को किराये पर देने हेतु समबन्धित उपमंडलाधिकारी/तहसीलदार की अध्यक्षता में कमेटी गठित की जानी आवश्यक है ताकि भविष्य में किसी प्रकार के किसी क़ानूनी विवाद से बचा जा सके एवं कोई वैधानिक कठिनाई न हो।

ग्राम पंचायत भलेई की नमूना लेखा परीक्षा में पाया गया कि; पंचायत के पास कुल चार दुकानें हैं जोकि किरायेदारों को आवंटित की गई थी परन्तु इन के सम्बन्ध में न कोई अभिलेख तैयार किये गए थे एवं न ही उक्त वर्णित सरकारी नियमों, आदेशों, अनुदेशों एवं शर्तों इत्यादि की अनुपालना नहीं की गई थी। आगे अवलोकन में पाया गया कि उक्त दुकानों का केवल नवम्बर 2015 तक ही किराया दिया गया था।

इस सम्बन्ध में जारी अधियाचना संख्या-11 दिनांक 16-01-2025 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा बताया कि, दुकानों सम्बन्धी मामला उपमंडलाधिकारी नागरिक के कार्यालय में लंबित है। अत: उक्त मामले के सम्बन्ध में कार्यवाही की सूचना लेखा परीक्षा विभाग को भी प्रेषित की जाये।

8.1 आपूर्तिकर्ताओं/वेडरों से W, X फॉर्म प्राप्त किये बिना ही राशि ₹13.42 लाख की खनन सामग्री का अनियमित क्रय/भुगतान करने बारे :-

हि० प्र० माइनर मिनरल्स नियम 2015 के नियम 81 व 81-ए के अनुसार किसी कांट्रेक्टर/वेंडर द्वारा खनन सामग्री की आपूर्ति करने पर फॉर्म W या X प्रस्तुत करना अनिवार्य था अन्यथा आपूर्तिकर्ता से रॉयल्टी की वसूली 25 % पेनल्टी के साथ की जानी प्रावधित की गया थी। परन्तु निदेशक पंचायती राज व ग्रामीण विकास के पत्र संख्या XEN-(RD&PR)-DB-General/2023-1/204192/2023-34307-30 दिनांक 20-11-2023 के अनुसार माननीय हाई कोर्ट हिमाचल प्रदेश के आदेश CWP No. 868 of 2023 की अनुपालना में किसी कांट्रेक्टर से खनन सामग्री की आपूर्ति/क्रय पर वैध ट्रांजिट पास (फॉर्म-W) या सप्लीमेंट्री ट्रांजिट पास (फॉर्म-X) उपलब्ध करवाने उपरान्त ही भुगतान किया जाना अनिवार्य था।

परन्तु ग्राम पंचायत भलेई के चयनित माहों के अंकेक्षण एवं पंचायत द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना के आधार पर पाया गया कि, पंचायत द्वारा वेंडरों/ठेकेदारों से राशि ₹1341579 (संलग्न **परिशिष्ट "4"** के अनुसार) की खनन सामग्री जैसे रेत,बजरी व पत्थर इत्यादि की आपूर्ति बिना W,X-फॉर्म प्राप्त किये ही ली गई जिसके परिणामस्वरूप उक्त राशि का अनियमित भुगतान किया गया जोकि उक्त आदेशों/नियमों की पूर्णत: अवहेलना है।

इस गम्भीर अनियमितता बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या 05 दिनांक 14-01-2025 के प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव द्वारा तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि उपरान्त कहा कि, किसी भी आपूर्तिकर्ता के पास W, X फॉर्म उपलब्ध न होने के कारण पंचायत द्वारा भुगतान किया गया लेकिन इस सम्बन्ध में शीघ्र ही नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर विभाग को यथाशीघ्र अवगत करवा दिया जायेगा। उत्तर संतोषजनक नहीं है।

अभिलेखों के अवलोकन व प्रस्तुत उत्तर से ऐसा प्रतीत होता है कि, ग्राम पंचायत में निष्पादित कार्यों हेतु क्रय खनन सामग्री के आपूर्ति स्त्रोत की वैधता सुनिश्चित किये बिना ही भुगतान किया गया। जोकि उक्त आदेशों व नियमों के प्रतिकूल है। चूँकि बिना W, X फॉर्म के क्रय से यह भी सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि वेंडर, जिससे क्रय किया गया वह खनन सामग्री के विक्रय हेतु अधिकृत था अथवा नहीं जिससे अवैध खनन के साथ-साथ खनन सामग्री

पर सरकार को प्राप्त होने वाले राजस्व GST, रॉयलटी की वित्तीय हानि की संभावना को भी नहीं नकारा जा सकता है। यह एक गम्भीर अनियमितता है जो उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ विशेष रूप से लाई जाती है। अत: उक्त अनियमितता को समर्थित अभिलेखों सहित न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा मामले में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर कृत कार्रवाई/अनुपालना से लेखा परीक्षा विभाग को यथाशीघ्र अवगत करवाया जाये।

8.2 संविदाकारों से टी०डी०एस० की कटौती न करने के कारण सरकार को राशि ₹9374 की वित्तीय हानि बारे :-

आयकर अधिनियम 1961 की धारा 194 (C,I) के अनुसार आहरण व संवितरण अधिकारी द्वारा भुगतान करने से पूर्व TDS की कटौती करना एवं उसे सरकारी कोष में समयबन्ध तिथि को जमा करवाना अनिवार्य है।

ग्राम पंचायत भलेई के चयनित माहों के अंकेक्षण दौरान पाया गया कि, पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान संलगन **परिशिष्ट "5"** के अनुसार राशि ₹468699/- का भुगतान किया गया। परन्तु उक्त भुगतान करते समय स्त्रोत पर कर कटौती (TDS) नहीं की गई थी। जिससे आयकर अधिनियम के उपरोक्त प्रावधानों की अवहेलना हुई जिसके फलस्वरूप सरकारी राजस्व के तौर पर राशि ₹9374/- (2%) की वित्तीय हानि आहरण व संवितरण अधिकारी के कारण हुई है।

इस अनियमितता के सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या-06 दिनांक 14-01-2025 के प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव द्वारा तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि उपरान्त कहा कि, टी.डी.एस.के सम्बन्ध में पूर्ण जानकारी न होने के अभाव में इसकी कटौती नहीं की गई परन्तु इस सम्बन्ध में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उत्तर संतोषजनक नहीं है।

अत: आहरण व संवितरण अधिकारी द्वारा उक्त प्रकरण में टी.डी.एस की कटौती किये बिना किये गये भुगतानों को न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा आयकर अधिनियमों के तहत आहरण व संवितरण अधिकारी से उक्त राशि की वसूली व्याज सहित करके तुरंत सरकारी राजकोष में जमा करवाया जाये इसके अतिरिक्त इस प्रकार के अन्य मामलों में अपने स्तर

पर गणना करके राशि को जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाये कृत अनुपालना से लेखा परीक्षा विभाग को भी अवगत करवाया जाये।

8.3 आपूर्तिकर्ताओं से पत्थर के क्रय हेतु भुगतान से पूर्व रिक्तियों (Voids) की कटौती न करने के कारण राशि ₹0.49 लाख का अधिक/अनियमित भुगतान बारे :-

हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग (HPPWD) के नियम, सामग्री का परिवहन के अंतर्गत क्रम 2.1.2.13 में पत्थरों (Stone/Blouders) की आपूर्ति में रिक्तियों (Voids) की 12.5% की दर से कटौती किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत भलेई के चयनित माहों के अंकेक्षण दौरान पाया गया कि, ग्राम पंचायत द्वारा संलग्न **परिशिष्ट "6"** के अनुसार राशि ₹395883 के पत्थरों का क्रय किया गया परन्तु आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान से पूर्व नियमानुसार अपेक्षित Voids की कटौती नहीं की गई थी जिसके परिणाम स्वरूप राशि ₹49485 का अधिक/अनियमित भुगतान किया गया प्रतीत होता है।

इस गम्भीर अनियमितता बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या 09 दिनांक 14-01-2025 के प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव द्वारा तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि उपरान्त कहा कि, जानकारी न होने के अभाव में पत्थरों के बिलों में Voids की कटौती किये बिना ही भुगतान किया गया इस सम्बन्ध में शीघ्र ही अपेक्षित अमल में लाई जायेगी। प्रस्तुत उत्तर संतोषजनक नहीं है।

उक्त तथ्यों व प्रस्तुत उत्तर से ऐसा प्रतीत होता है कि ग्राम पंचायत द्वारा न केवल उक्त बिलों बल्कि समस्त बिलों में बिना Voids कटौती के भुगतान किया गया जोकि न केवल उक्त नियम की स्पष्ट अवहेलना हैं अपितु इससे आपूर्तिकर्ता को अधिक भुगतान भी किया गया। अत: उक्त अनियमिता को समर्थित अभिलेखों व ठोस तथ्यों सहित न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा अपेक्षित कटौती न करने के कारण हुई वित्तीय हानि की प्रतिपूर्ति करके कृत अनुपालना से लेखा परीक्षा विभाग को यथाशीघ्र अवगत करवाया जाना सुनिश्चित करें।

8.4 ग्राम पंचायत स्तर पर निष्पादित निर्माण कार्यों से सम्बंधित स्वीकृति/कार्य आदेश, प्राक्कलन, मापन पुस्तिका इत्यादि प्रस्तुत न करना :-

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षण, सकंर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 व संशोधित नियम 2017 के नियम 94, 95 व 101 के अनुसार किसी भी

विकास कार्य का निष्पादन प्रशासनिक ,तकनीकी स्वीकृति, मापन पुस्तिका व प्राक्कलन तैयार किये बिना नहीं किया जा सकता है।

ग्राम पंचायत की चयनित माहों की लेखा परीक्षा के दौरान संलग्न **परिशिष्ट "7"** के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा निष्पादित कार्यों के प्रशासनिक, तकनीकी स्वीकृति, कार्य आदेश, प्राक्कलन, मापन पुस्तिका, FRA व प्रपत्र-34 इत्यादि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गए। जिसके अभाव में किये गए कार्यों व उसमें प्रयुक्त सामग्री/लेबर के व्यय, खपत, सत्यता एवं प्रमाणिकता की पुष्टि लेखा परीक्षा में नहीं की जा सकी।

इस सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या-08 दिनांक 14-01-2025 के प्रत्युत्तर में कहा कि, उक्त समस्त अभिलेख कनिष्ठ अभियंता व तकनीकी सहायक के पास पड़े हैं। अंकेक्षण बारे उन्हें सूचित कर दिया गया था परन्तु न तो उन्होने अभिलेख पंचायत को प्रेषित किये और न ही वे स्वयं उपस्थित हुए जिससे उक्त वांछित अभिलेखों को अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया जा सके। प्रस्तुत उत्तर संतोषजनक नहीं है चूँकि उक्त कर्मचारियों द्वारा करवाये गए कार्यों के अभिलेखों का पंचायत में उपलब्ध न करवाना आपत्तिजनक है। अत: उक्त वांछित अभिलेखों को उपलब्ध न करवाने का औचित्य स्पष्ट करते हुए न्यायोचित ठहराया जाये तथा मामले में अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

9.1 मनरेगा अनुदान के अंतर्गत सामग्री पर तय अनुपात से राशि ₹6.56 लाख का अधिक/अनियमित व्यय करने बारे :-

मनरेगा परिचालन दिशा-निर्देश 2013 (MNREGA Operatinal Guidlines 2013) **नियम 7.4** के अंतर्गत पंचायत स्तर पर मजदूरी व सामग्री को तय अनुपात में खर्च किये जाने के नियम प्रावधित हैं। जिसके अंतर्गत मजदूरी लागत का भौतिक लागत से अनुपात अधिनियम में निर्धारित 60:40 (मजदूरी व सामग्री) के न्यूनतम मापदंड से कम नहीं होना चाहिए।

अंकेक्षण दौरान पाया गया कि, पंचायत द्वारा निम्नविवरणानुसार सामग्री पर तय अनुपात से राशि ₹656400 (10.01%) का अधिक व्यय किया गया। चूँकि सामग्री पर तय अनुपात से अधिक व्यय से रोजगार का कम सृजन हुआ परिणामस्वरूप ग्राम वासियों को

कम कार्य दिवस मिले। जोकि न केवल उक्त दिशा-निर्देशों की स्पष्ट अवहेलना है अपितु मनरेगा योजना के मौलिक उदेश्य "ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाने" को भी हतोत्साहित करता है।

क्रम.	वित्तीय वर्ष	कुल व्यय (लाखों में)	मजदूरी पर व्यय (लाखों में)	मजदूरी पर व्यय प्रतिशतता	सामान पर व्यय (लाखों में)	सामान पर व्यय प्रतिशतता
.1	2022-23	59.42	33.79	56.88%	25.62	43.12%
2.	2023-24	67.48	35.78	53.02%	31.70	46.98%
	सामग्री पर तय अनुपात से अधिक व्यय				**₹656400**	**10.01**

इस सन्दर्भ में जारी अधियाचना संख्या-10 दिनांक 14-01-2025 के प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव ने बताया कि, मनरेगा अनुदान के तहत सामग्री पर तय अनुपात से अधिक व्यय की सक्षम अधिकारी से स्वीकृति ले ली जायेगी। अत: उक्त अनियमितता को ठोस तथ्यों सहित न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा मामले में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

9.2 बिना प्रॉपर/टैक्स बिलों के राशि ₹14.42 लाख के स्टोर/स्टॉक का अनियमित क्रय व भुगतान करने बारे :-

ग्राम पंचायत भलेई के चयनित माहों के अंकेक्षण दौरान पाया गया कि, पंचायत द्वारा संलग्न **परिशिष्ट "3"** के अनुसार राशि **₹**1442295 का भुगतान विभिन्न सामग्रियों के क्रय की एवज में किया गया परन्तु बिलों के अवलोकन में पाया गया यह बिल प्रॉपर/टैक्स बिल न होकर केवल केश मैमों,परफोर्मा बिल व सादे कागज हैं। इसके अतिरिक्त उक्त वेंडरों की GST पंजीकरण प्रतिलिपि भी अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं की गई जिससे कि यह भी सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि उक्त विक्रेता GST धारक है या नहीं ? जिससे कि, इनकी सत्यता एवं प्रमाणिकता की पुष्टि लेखा परीक्षा में नहीं की जा सकी।

इस गम्भीर अनियमितता बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या 04 दिनांक 14-01-2025 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि कहा कि, पूर्ण जानकारी न होने के

अभाव में आपूर्तिकर्ताओं द्वारा अधिकतर केश मैमों परफोर्मा बिलों व सादे कागज पर ही दावे किये गये जिनका भुगतान पंचायत द्वारा GST सहित किया गया परन्तु इस सम्बन्ध में पूर्ण जानकारी न होने के अभाव में यह सुनिश्चित नहीं किया गया कि वास्तव में GST को सरकारी राजकोष में जमा करवाया जा रहा है अथवा नहीं ? उक्त मामले की पंचायत स्तर पर छानबीन करके कृत कार्रवाई से अंकेक्षण विभाग को शीघ्र अवगत करवा दिया जायेगा। अत: इस सम्बन्ध में अपना पक्ष ठोस तथ्यों व अभिलेखों सहित यथाशीघ्र प्रस्तुत करते हुए उक्त किये गए व्यय को न्यायोचित ठहराया जाये तथा इसे अनुवर्तन रिपोर्ट के साथ शीघ्र ही प्रेषित किया जाये अन्यथा मामले में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

9.3 मनरेगा मटेरियल व वर्क रजिस्टर के संधारण में पाई गई विविध अनियमिततायें एवं मनरेगा रोकड़ बही को प्रस्तुत न करने बारे :-

(क) ग्राम पंचायत के मनरेगा ऑनलाइन मटेरियल रजिस्टर के अवलोकन में पाया गया कि, पंचायत द्वारा मनरेगा अनुदान के तहत वित्तीय वर्षो 2022-2023 एवं 2023-2024 के दौरान कुल ₹4399067 का स्टोर/स्टॉक क्रय किया गया था परन्तु उक्त ऑनलाइन रजिस्टर में क्रय स्टोर/स्टॉक को तकनीकी सहायक द्वारा न तो सत्यापित किया गया था और न ही इसके अथशेष, अन्तशेष तथा स्टॉक रजिस्टर प्रविष्टि का विवरण भरा गया है इसके अतिरिक्त मनरेगा ऑनलाइन वर्क रजिस्टर के अवलोकन में पाया गया कि, इसमें कार्य पूर्ण होने की वास्तविक तिथि को नहीं भरा जा रहा है जोकि न केवल नियमानुसार अनुचित है अपितु इसके अभाव में स्टोर/स्टॉक के दुर्विनियोजन व कार्य में किसी प्रकार के अनाधिकृत समायोजन प्रविष्टि की सम्भावना को भी नहीं नकारा जा सकता है।

(ख) ग्राम पंचायत के मनरेगा अनुदान की रोकड़ बही को लेखा परीक्षा के दौरान प्रस्तुत नहीं किया गया आय-व्यय विवरण को ऑनलाइन वित्तीय विवरण से तैयार किया गया है जिससे कि मनरेगा की रोकड़ बही का सत्यापन नहीं किया जा सका।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या-10 दिनांक 14-01-2025 के प्रत्युत्तर में सचिव, द्वारा सूचित किया कि, मनरेगा अनुदान मटेरियल व वर्क रजिस्टर को भविष्य में पूर्ण रूप से भरा जायेगा तथा मनरेगा अनुदान की रोकड़बही पंचायत में उपलब्ध न होने के कारण अंकेक्षण में प्रस्तुत

नहीं की जा सकी। प्रस्तुत उत्तर संतोषजनक नहीं है। अत: नियमाविरुद्ध अपनाई गई इस कार्यप्रणाली को न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा मामले में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाई जाये तदानुसार कृत कार्रवाई से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

9.4 मनरेगा के अंतर्गत किये भुगतानों के Fund Transfer Orders को प्रस्तुत न करना :-

ग्राम पंचायत के चयनित माहों के अंकेक्षण में मनरेगा के अंतर्गत किये गए भुगतान के FTOs (fund transfer orders) को अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे कि यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि जो बिल पंचायत द्वारा अंकेक्षण में प्रस्तुत किये गए हैं वास्तव में उन्ही को भुगतान किया गया है।

इस बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या 10 दिनांक 14-01-2025 को सचिव को उक्त FTOs को अंकेक्षण में प्रस्तुत करने हेतु आग्रह किया, जिसके प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा बताया कि मनरेगा भुगतानों के FTOs पंचायत में उपलब्ध नहीं है इस कारण यह अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किये जा सकते। उत्तर संतोषजनक नहीं है अत: FTOs का पंचायत में न पाया जाना को न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा मामले में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

10.1 पंचायत के वार्षिक लेखा खातों, आय-व्यय विवरणों एवं बैलेंस शीट इत्यादि को अंकेक्षण में प्रस्तुत न करने बारे :-

ग्राम पंचायत भलेई के चयनित माहों के अंकेक्षण में पंचायत द्वारा संधारित किये जाने वाले आवश्यक अभिलेखों यथा वार्षिक प्राप्ति एवं भुगतान खाता, ट्रायल बैलेंस, आय एवं व्यय विवरण, बैलेंस शीट,बैंक बेलेंस सर्टिफिकेट एवं अन्य वित्तीय विवरणों को प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे कि, पंचायत के उक्त लेखा खातों/अभिलेखों का अंकेक्षण के दौरान सत्यापन व प्रमाणीकरण नहीं किया जा सका।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या-07 दिनांक 14-01-2025 द्वारा पंचायत सचिव से उक्त वित्तीय विवरणों को लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न करने के सम्बन्ध में अपना पक्ष रखने को कहा गया जिसके जिसके प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा बताया गया कि, उक्त समस्त अभिलेख/वित्तीय विवरण पंचायत में उपलब्ध नहीं है जिस कारण यह अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया जा सके। उत्तर संतोषजनक नहीं है।

अत: उक्त अभिलेखों/वित्तीय विवरणों का संधारण न करना अथवा उनका पंचायत रिकॉर्ड में उपलब्ध न होना न केवल नियमानुसार अनुचित है अपितु यह आपत्तिजनक भी है। इस सम्बन्ध में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

10.2 ग्राम पंचायत द्वारा महत्वपूर्ण रजिस्टरों अभिलेखों का रख-रखाव/संधारण न करना :-

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, सकंर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के **नियम 29 से 31** व हिमाचल प्रदेश पंचायती राज सामान्य नियम के **नियम 34** के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का अनुरक्षण किया जाना अनिवार्य था।

ग्राम पंचायत के अंकेक्षण दौरान पाया गया कि, पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों को अंकेक्षण दौरान सत्यापन हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया। इस सम्बन्ध में अंकेक्षण अधियाचना संख्या 03 दिनांक 06-01-2025 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा स्पष्ट किया कि, निम्न तालिका अनुसार कुछ रजिस्टरों/अभिलेखों का संधारण नहीं किया जा रहा है तथा कुछ का अपूर्ण है।

क्र०	रजिस्टर/अभिलेख	फॉर्म संख्या	संदर्भित नियम	टिप्पणी
1.	बजट प्राक्कलन	11	37	अपूर्ण
2.	अस्थाई अग्रिमों का रजिस्टर	09	30	संधारित नहीं
3.	मासिक बैंक समाधान विवरणी	----	(1)15	संधारित नहीं
4.	अनुदान रजिस्टर	21	(1)61	संधारित नहीं
5.	वर्गीकृत सार	08	(4)29	संधारित नहीं
6.	निर्माण कार्य रजिस्टर	--------	103	संधारित नहीं
7.	तकनीकी जाँच पड़ताल व मंजूरी आकलन	31	(1) 95	संधारित नहीं
8.	स्थाई एवं अस्थाई भण्डार रजिस्टर	26 व 25	AB (1) 72	अपूर्ण
9.	बही खाता (Ledger)	07	(4 से 1) 29	अपूर्ण
10.	बिल रजिस्टर	13	48	संधारित नहीं
11.	ग्राम पंचायत का स्टॉक सामग्री रजिस्टर	06 व 01	34	अपूर्ण

12.	अंकेक्षण प्रतिवेदन/प्रतिवेदनों का रजिस्टर	30	89	संधारित नहीं
13.	e-ग्राम swaraaj संधारित रोकड़ बहियाँ	-	-	अपूर्ण

ग्राम पंचायत द्वारा उक्त वर्णित अधिकतर अभिलेखों को संधारित न करना व कुच्छ का अपूर्ण पाया जाना नियमानुसार अनुचित है। चूँकि गत अंकेक्षण में भी इस बारे आपत्ति दर्ज की गई थी परन्तु वर्तमान अंकेक्षण अवधि में भी इसकी पुनरावृत्ति किया जाना संदिग्ध व आपत्तिजनक है। अभिलेख विशेषकर बिल रजिस्टर, स्टोर/स्टॉक रजिस्टर व मासिक बैंक समाधान विवरणी तैयार न करना न केवल प्रक्रियात्मक चूक है अपितु इनके अभाव में किसी वित्तीय अनियमिता की संभावना को भी नहीं नकारा जा सकता है। अत: मामले में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर कृत अनुपालना से लेखा परीक्षा विभाग को यथाशीघ्र अवगत करवाया जाये।

11. भौतिक सत्यापन (Physical Verification) न करवाने बारे :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षण,सकंर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के **नियम 73** के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत भलेई की लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया कि, पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार सत्यापन अंकेक्षण अवधि में एक बार भी नहीं किया गया। जिसके बिना वाउचर/बिल विशेष के तहत खरीदी गई सामग्री की भौतिक रूप में उपलब्धता एवं उसकी वर्तमान स्थिति का पता नहीं लगाया जा सकता। समय-समय पर स्टोर/स्टॉक का प्रत्यक्ष सत्यापन न होने से सामग्री विशेष के दुरूपयोग की संभावना से भी इंकार नहीं किया जा सकता। यह एक गम्भीर अनियमितता है।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या-07 दिनांक 14-01-2025 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा तथ्यों की पुष्टि उपरान्त कहा कि, भविष्य में क्रय स्टोर/स्टॉक का भौतिक सत्यापन करवा कर विभाग को अवगत करवा दिया जायेगा। उत्तर तर्कसंगत प्रतीत नहीं होता है क्योंकि गत अवधि में क्रय किये सामान के भौतिक सत्यापन के अभाव में उसके दुरूपयोग की संभावना

से इंकार नहीं किया जा सकता। अत: मामले में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर कृत अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

12. **लघु आपत्ति विवरणिका:-** लघु आपत्ति विवरणिका अलग से जारी नहीं की गई है। अपितु समय-समय पर चर्चा के दौरान सभी पहलुओं, नियमों/प्रावधानों पर प्रकाश डाला गया।

13. **निष्कर्ष :-** उक्त अनियमितताओं के दृष्टिगत न केवल लेखों के सुधार अपितु नियमानुसार कार्रवाई न करके वित्तीय व विविध प्रक्रियात्मक चूक सम्बन्धी अनियमितताओं की पुनरावृत्ति की जा रही है। जिससे न केवल नियमों की अवहेलना की गई है अपितु इससे किसी प्रकार के वित्तीय अनियमितता की संभावना को भी नहीं नकारा जा सकता है। अत: मामला विशेष तौर पर उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ आगामी आवश्यक कार्रवाई एवं सूचनार्थ प्रेषित है।

(कृष्ण लाल नेगी) 24.02.25
सहायक निदेशक
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग
शिमला–171009
दूरभाष–0177–2626670

का0/वि0
1293–1297 24 FEB 2025

पृष्ठांकन संख्या:– फिन (एल0ए0) एच (पंच) 15 (7) 20/2018 खण्ड–1 दिनांक शिमला–09
प्रतिलिपि:– निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
2 उप सचिव एवं समिति अधिकारी स्थानीय निधि लेखा समिति हि0प्र0 विधानसभा शिमला–4 को सूचनार्थ प्रेषित है।
3 जिला पंचायत अधिकारी चम्बा, जिला चम्बा, हि0प्र0।
4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड सलूणी, जिला चम्बा हि0प्र0।
पंजीकृत 5 सचिव, ग्राम पंचायत भलेई, विकास खण्ड सलूणी, जिला चम्बा (हि0प्र0) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

(कृष्ण लाल नेगी) 24.02.25
सहायक निदेशक
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग
शिमला–171009
दूरभाष–0177–2626670

का0/वि0

परिशिष्ट "1" पैरा संख्या 4.1 में संदर्भित

Financial Position of GP Bhalei for the Year 2022-2023 To 2023-2024

1. Own Source, MPLAD,VKVNY,BASP,GRDS,SDRF,VMJS & 5th SFC

FINANCIAL YEAR	OPENING BALANCE	RECEIPT DURING	TOTAL	EXPENDITURE	CLOSING BALANCE
2022-23	816830.63	1251794.00	2068624.63	1231803.00	836821.63
2023-24	836821.63	2445356.00	3282177.63	2186744.00	1095433.63

2. Grants in aid MGREGA & 15th FC

FINANCIAL YEAR	OPENING BALANCE	RECEIPT DURING YEAR	TOTAL	EXPENDITURE	CLOSING BALANCE
2022-23	1309821.00	7317816.56	8627637.56	7434592.56	1193045.00
2023-24	1193045.00	7147116.74	8340161.74	7474362.74	865799.00

1961232.63

It is certified that GP Bhalei has three cash books out of which 15th FC Online, Offline SF,MPLAD,VKVNY,SDRF,VMJS,BASP & 5th SFC , And MGREGA On

1+2 (1095433.63+865799.00) Closing Balance as per Cash Books		1961232.63
Closing Balance as per Bank Passbook		2216819.65
Difference	(Less in Cash books)	-255587.02

परिशिष्ट "2" पैरा संख्या 4 में सन्दर्भित							
Financial Position Grants in Aids & SF of GP Bhalei for the Year to 2022-2023 To 2023-2024							
Sr.No	Particulars	Year	Opening	Receipt	Total	Expenditure	Closing
1	MGNREGA	2022-23	0.00	5941533.56	5941533.56	5941533.56	0.00
		2023-24	0.00	6864131.74	6864131.74	6864131.74	0.00
2	15TH FC	2022-23	1309821.00	1376283.00	2686104.00	1493059.00	1193045.00
		2023-24	1193045.00	282985.00	1476030.00	610231.00	865799.00
3	GENERAL (SF,VKVNY,MPLAD,SDRF,VMJS, BASP,5TH SFC)	2022-23	816830.63	1251794.00	2068624.63	1231803.00	836821.63
		2023-24	836821.63	2445356.00	3282177.63	2186744.00	1095433.63

Reffered in Para no. 9.2

Annexure "3" Payment made without Proper/Tax Bill in R/o GP Bhalei Chamba

SR. NO.	NAME OF VENDER/ SUPPLIER	GRANTS/ HEAD	VOUCHER/ DATE	NAME OF MATERIAL	AMOUNT PAID	Remarks
1	M/S Raja Interior	SF	06/	PVC Fitting	70500.00	Cash Memo
	VPO Sarol, Chamba		01-06-2022			do
2	M/S Ipshita Thakur	SF	07/	Electrical	24586.00	do
	Main Bazar Bhalei, Chamba		01-06-2022			do
3	Sh. Hem Raj	VMJS	13/	Stone	15000.00	Plain Paper
	PO Bhalei, Chamba		18-06-2022			do
4	M/S Kuldeep Singh	BASP	26/	Stone	78000.00	do
	PO Bhalei, Chamba		25-07-2022			do
5	Sh. Hem Raj	BASP	NIL/	Stone	30000.00	do
	PO Bhalei, Chamba		23-03-2023			do
6	M/S Mukesh Kumar	VKVNY	02 & 03/	Sand	31510.00	G.R.
	PO Thakrimatti, Chamba		21-04-2023	Aggre.	19781.00	do
7	M/S Mukesh Kumar	VKVNY	05 & 06/	Aggre.	35934.00	do
	PO Thakrimatti, Chamba		24-04-2023	Stone	9386.00	do
8	M/S Kuldeep Singh	BASP	25/	Sand	9000.00	do
	PO Bhalei, Chamba		19-06-2023	Aggre.	9000.00	do
9	M/S Kuldeep Singh	SDRF	27/	Sand	16090.00	do
	PO Bhalei, Chamba		19-06-2023	Aggre.	19910.00	do
10	Sh. Hem Raj	VKVNY	75 & 76/	Sand	20275.00	do
	PO Bhalei, Chamba		11-01-2024	Aggre.	38410.00	do
11	M/S Thakur Stone Crusher	MPLAD	104-109/	Sand	83815.00	do
	VPO Kandla Chamba		30-03-2024	Aggre.	158730.00	do
12	M/S Pawan Construction	MNGREGA	NIL/	Interlock tiles		do
	VPO Mouda, Chamba		23-05-2022	18872x17.90	337619.91	Performa bill
13	M/S Sabhir Mohd.	MNGREGA	NIL/	Material		do
	PO Bhalei, Chamba		19-05-2022	Carrige	21026.92	Plain Paper a/w Rec
14	M/S Hem Raj	MNGREGA	NIL/	Stone	77000.00	Performa bill
	PO Bhalei, Chamba		27-06-2023			do
15	M/S Mukesh Hardware	MNGREGA	NIL/	Stone	243498.00	do
	PO ThakriMatti, Chamba		27-06-2023	Sand	93223.00	do
				TOTAL	**1442294.83**	

Annexure "4" Refferred in Audit Para 8.1

DETAIL OF VENDER/SUPPLIER IN R/O GP BHALEI TO WHOM PAYMENT MADE WITHOUT OBTAINING W, X, FORM W.E.F. 04/2022 TO 03/2024

SR. NO.	NAME OF VENDER/ SUPPLIER	GRANTS/ HEAD	VOUCHER/ DATE	NAME OF MATERIAL	QTY. M3	QTY. TONNE	AMOUNT PAID
1	Sh. Hem Raj	VMJS	13/	Stone	5.00	11.20	15000.00
	PO Bhalei, Chamba		18-06-2022				
2	M/S Kuldeep Singh Transpo	BASP	26/	Stone	26.00	58.24	78000.00
	PO Bhalei, Chamba		25-07-2022			0.00	
3	Sh. Hem Raj	BASP	NIL/	Stone	10.00	22.40	30000.00
	PO Bhalei, Chamba		23-03-2023			0.00	
4	M/S Mukesh Kumar	VKVNY	02 & 03/	Sand	11.15	17.84	31510.00
	PO Thakrimatti, Chamba		21-04-2023	Aggre.	7.71	14.96	19781.00
5	M/S Mukesh Kumar	VKVNY	05 & 06/	Aggre.	12.72	24.68	35934.00
	PO Thakrimatti, Chamba		24-04-2023	Stone	9.50	21.28	9386.00
6	M/S Kuldeep Singh	BASP	25/	Sand	2.83	4.53	9000.00
	PO Bhalei, Chamba		19-06-2023	Aggre.	3.81	7.39	9000.00
7	M/S Kuldeep Singh	SDRF	27/	Sand	6.91	11.06	16090.00
	PO Bhalei, Chamba		19-06-2023	Aggre.	8.55	16.59	19910.00
8	Sh. Hem Raj	VKVNY	75 & 76/	Sand	9.57	15.31	20275.00
	PO Bhalei, Chamba		11-01-2024	Aggre.	18.13	35.17	38410.00
9	M/S Thakur Stone Crusher	MPLAD	104-109/	Sand	33.91	54.26	83815.00
	VPO Kandla Chamba		30-03-2024	Aggre.	64.22	124.59	158730.00
10	M/S Sabhir Mohd.	MNGREGA	NIL/	Sand	73.40	117.44	146106.81
	PO Bhalei, Chamba		19-05-2022	Aggre.	73.07	141.76	149612.14
				Stone	23.60	52.86	19999.00
11	M/S Gagan Singh	MNGREGA	NIL/	Sand	7.08	11.33	15560.00
	PO Bhalei, Chamba		23-05-2022				
12	M/S Pawan Kumar	MNGREGA	NIL/	Aggre.	5.00	9.70	10593.00
	PO Bhalei, Chamba		19-05-2022	Sand	5.32	8.51	11290.00
13	M/S Mukesh Hardware	MNGREGA	NIL/	Stone	283.92	635.98	243498.00
	PO ThakriMatti, Chamba		27-06-2023	Sand	34.20	54.72	93223.00
14	M/S Kuldeep Singh	MNGREGA	NIL/	Aggre.	17.59	34.1246	37266.00
	PO Bhalei, Chamba		20-06-2023	Sand	14.01	22.416	39590.00
				TOTAL	**767.20**	**1528.32**	**1341578.95**

24

Annexure "5" Refferred in Para number 8.2

Statement Showing Detail of Payment TDS Not Deducted in r/o Gram Panchayat Bhalei, Chamba H.P.

Sr. No.	Voucher No./ Date	Name of Fund	Detail of Suppliers	Service & Materail Detail	Amount	TDS @2 %	Applicable Act & Section
1	06 / 01-06-2022	Own Source	M/S Raja Interior VPO Sarol ,Chamba	PVC Fitting	70500.00	1410.00	IT Act 1961 Section 194 C
2	56/ 28-11-2023	MPLAD	M/S Arun Chauhan , PO Thakrimatti Chamba	Hiring Charges of JCB	49200.00	984.00	IT Act 1961 Section 194 I
3	Nil/ 05-07-2022	MGNREGA	M/S Daleep Singh PO Bhalei, Chamba	Sand Carrige by mule	38808.00	776.16	IT Act 1961 Section 194 C
4	Nil/ 05-07-2022	MGNREGA	M/S Daleep Singh PO Bhalei, Chamba	Agg. Carrige by mule	186450.00	3729.00	do
5	Nil/ 06-07-2022	MGNREGA	M/S Jatinder Kumar PO Bhalei, Chamba	Sand Carrige	46740.82	934.82	do
6	Nil/ 27-06-2023	MGNREGA	M/S Hem Raj PO Bhalei, Chamba	Stone Carrige	77000.00	1540.00	do
				TOTAL	468698.82	9373.98	

25

Annexure "6" Reffered in Para No.&3 Payment made without Deducted Voids in Stone In R/O GP Bhalei

SR. NO.	NAME OF VENDER/ SUPPLIER	GRANTS/ HEAD	VOUCHER/ DATE	NAME OF MATERIAL	QTY. M3	QTY. TONNE	AMOUNT PAID	Voids 12.50%	Amount Should be Paid
1	M/S Sabhir Mohd.	MNGREGA	NIL/	Stone	23.60	52.86	19999.00	2499.88	17499.13
	PO Bhalei, Chamba		19-05-2022					0.00	0.00
2	M/S Mukesh Hardware	MNGREGA	NIL/	Stone	283.92	635.98	243498.00	30437.25	213060.75
	PO ThakriMatti, Chamba		27-06-2023					0.00	0.00
3	Sh. Hem Raj	VMJS	13/	Stone	5.00	11.20	15000.00	1875.00	13125.00
	PO Bhalei, Chamba		18-06-2022					0.00	0.00
4	M/S Kuldeep Singh Transporte	BASP	26/	Stone	26.00	58.24	78000.00	9750.00	68250.00
	PO Bhalei, Chamba		25-07-2022			0.00		0.00	0.00
5	Sh. Hem Raj	BASP	NIL/	Stone	10.00	22.40	30000.00	3750.00	26250.00
	PO Bhalei, Chamba		23-03-2023			0.00		0.00	0.00
6	M/S Mukesh Kumar	VKVNY	05 & 06/	Stone	9.50	21.28	9386.00	1173.25	8212.75
	PO Thakrimatti, Chamba		24-04-2023						
				TOTAL	358.02	801.96	395883.00	49485.38	346397.63

26

परिशिष्ट "7" पैरा संख्या 8.4 में सन्दर्भित

Sr.no/ Grant	Name of Work Detail	Sanction	Documents not presented
1.MNREGA	C/o Protection Kiyol to GSSS Bhalei	250000	MB, Estimate, Work Order and Technical sanction order, UCC, Form 13C in Format-34, FRA etc.
2.MNREGA	C/o Crate work at Kandi	300000	
3.MNREGA	C/o Kabristan Boundary Wall at Bassa	400000	
4.MNREGA	C/o Pucca Path Bahlei Nala to Bhalei Temple	300000	
5.MNREGA	C/o Pucca Path at AHC Kandi	300000	
6.MNREGA	C/o Pucca Path Village Kandi with Interlocking tiles	300000	
7. MNREGA	C/o Pucca Path main road to Shamshanghat Kandi	300000	
8. MNREGA	C/o Trekking route Madh Nala to Gadh	700000	
9.MNREGA	C/o Trekking route Gadh to Kanihandi Mata	800000	
10.MNREGA	C/o Pucca Path with interlocking tiles at Naled Juthar	500000	
11.MNREGA	C/o Anganwadi Bhavan Kandi, Nalhed & Kanhar	900000	
12.MNREGA	C/o Pucca Path with interlocking tiles at Talai	500000	
13.MNREGA	C/o 09 nos. of Cattle shed @100000 each	900000	
14. MNREGA	C/o 02 No. Rain Water harvesting tank @80000	160000	
15.MNREGA	C/o Irrigation tank Chhato Ram	100000	
16.VKVNY	C/o Community Hall Kanhyadi	600000	
17.BASP	C/o Pucca Path Main road to Manjara Muhal	300000	
18.SDRF	C/o Repir of Two rooms GPS Bhalei	200000	
	TOTAL	7810000	